

26/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त अनुपस्थित।
वकील पार्थी को बार-बार आवाज दिलाई
गई जिसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए।
पत्रावली अदम पैरवी एवं अदम हाजरी
में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश
सुनाया गया।

